न्यायालयः—भीष्म प्रसाद पाण्डेय सत्र न्यायाधीश महासमुन्द(छ.ग.)

CNR- CGMA 01-001621-2022
जमानत याचिका क्रं: 866/2022

रवि आवड़े पिता गिरधर आवड़े उम्र 24 वर्ष,
निवासी ग्राम भोरिंग थाना तुमगांव
तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.)

———आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

छ.ग. राज्य
द्वारा— आरक्षी केन्द्र तुमगांव
जिला महासमुंद (छ.ग.)

———————अनावेदक/अभियोजन

———————————————————————————————————

10/10/2022 आवेदक/अभियुक्त रवि आवड़े की ओर से श्री रोशन साहू अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक छ.ग. राज्य द्वारा श्री विनोद शर्मा लोक अभियोजक उपस्थित।

02. आवेदक/अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—438 के अन्तर्गत आवेदन पेश कर थाना तुमगांव के अपराध क्रमाक 181/2022 अंतर्गत धारा 379, 34 भा.द.वि. में आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार किए जाने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, कोई अपराध कारित नही किया है। केवल शंका के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। आवेदक वर्तमान में नगर पालिका परिषद महासमुंद में प्लेसमेंट कर्मचारी है तथा उसे अभिरक्षा में लिए जाने से उसकी सेवा बाधित होने की आशंका है, आवेदक संभ्रात व्यक्ति है, उसे गिरफतार किए जाने से उसके मान सम्मान की ख्याति की अपहानि होगी। आवेदक ग्राम भोरिंग थाना तुमगांव जिला महासमुंद का निवासी है। आवेदक/अभियुक्त जमानत के समस्त शर्तो का

पालन करने तत्पर हैं। अतः अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

03. जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक / अभियुक्त ने स्वंय का शपथ पत्र पेश की है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत यह प्रथम जमानत याचिका है, इसके अतिरिक्त इस धारा के तहत् अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी न्यायालय या माननीय छ.ग उच्च न्यायालय बिलासपुर के लम्बित नही है और न ही निराकृत हुआ है, इसी शपथ पत्र के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति का भी समर्थन किया गया है।

04. जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। थाना तुमगांव जिला महासमुंद से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

05. आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पर तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है, शंका के आधार पर झूठा फसाया गया है, ग्राम भोरिंग थाना तुमगांव का स्थाई निवासी है, जमानत की शर्तो का पालन करेगा, जमानत का लाभ दिया जावे।

06. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट पर आवेदक सहित अन्य के विरूद्ध कृषि पशु भैंस की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। आवेदक अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी के पशु भैंसों को हॉक कर ला रहा था। दर्ज मामले की विवेचना की जा रही है से जमानत आवेदन का विरोध किया है।

07. थाना तुमगांव जिला महासमुंद के अपराध क्रमांक 181 / 2022 धारा–379, 34 भा.द.वि. की प्राप्त केस डायरी अनुसार प्रार्थी कन्हैया लाल यादव ने दिनांक 01 / 08 / 2022 को चौकी सिरपुर थाना तुमगांव में लिखित रिपोर्ट लिखाई कि उसके पशु भैंस–भैंसा को चरवाहा कुमार यादव के पास पालने के लिए रखा था, जिसमें से 09 भैंस की चोरी होने की रिपोर्ट किया। विशाल आवड़े ने रवि आवड़े एवं कमल जोशी के साथ मिलकर प्रार्थी के पशुओं को हॉक कर ला रहे थे। दर्ज रिपोर्ट पर विवेचना की जा रही है।

08 केस डायरी से जानकारी दी गई है कि घटना दिनांक से रवि आवड़े एवं कमल जोशी छिप रहे है, फरार हो गये है तथा फरार होने की संभावना, जमानत के दुरूपयोग करने की संभावना पर आवेदन का विरोध किया गया है।

09 प्राप्त केस डायरी अनुसार आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध चौकी सिरपुर में प्रार्थी की लिखित शिकायत पर अपराध क्रमाक 0 / 22 धारा 379 / 34 भा.द.वि. का आवेदक / अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज हुई है। जिसका थाना तुमगांव में अपराध क्रमांक 181 / 2022 दर्ज किया गया है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट की गई है। बोरिद जंगल से 09 नग पशुधन भैंस को अन्य के साथ मिलकर चोरी करने के अपराध की विवेचना की जा रही है। केस डायरी की सामग्री से अग्रिम जमानत में छोड़े जाने योग्य उपयुक्त मामला होना दर्शित नही हो रहा है। अतः आवेदक / अभियुक्त रवि आवड़े की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा. 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

10. जमानत आदेश की प्रति के साथ केस डायरी थाना तुमगांव जिला महासमुंद को सूचनार्थ भेजी जावे।

11. परिणाम दर्ज कर, प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही / —
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)

प्रतिलिपिः—

01—थाना तुमगांव जिला महासमुन्द को उनके अपराध क्रमॉकः 181 / 2022 धारा—379, 34 भा.द.वि. की केसडायरी के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सही / —
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)